

## कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

[E-mail:efc.brn.forest@rajasthan.gov.in](mailto:efc.brn.forest@rajasthan.gov.in), Tel.No. 07453-230410

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.सं./2019-20/ 9687 दिनांक 20/9/19  
दिनांक 20/9/19

विषय:-

अधिशायी अभियन्ता  
जल संसाधन खाण्ड तृतीय बारां

विषय:- अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर तथा माईनर के निर्माण में आने वाली वन भूमि अनापत्ति से संबन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्राक क्रमांक एफ14( )  
2018 /FCA/PCCF/CCF EDS-/Date 15.02.2019


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी EDS दिनांक 15.02.2019 के क्रम में आपके पत्रांक 1467 दिनांक 11.09.2019 से प्रेषित अनुपालना में निम्नानुसार कमिया है -

- ❖ बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जिला कलक्टर द्वारा संशोधित आदेश से आवंटित भूमि आप द्वारा प्रेषित किये गये नक्शे में उचित स्थान पर अंकित नहीं की गई है तथा प्रस्तावित आवंटित भूमि की kml file की C.D भी संलग्न नहीं की गई है।

अतः आक्षेप की पूर्ति कर इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कि जा सके।

भवदीय

  
उप वन संरक्षक  
बारां

दिनांक :-

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/19-20/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1.संभागीय मुख्य वन संरक्षक ,कोटा।

उप वन संरक्षक  
बारां